तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की तामील में
24.12.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 19.1.21 को पेश हो।	
19/1/21	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी सं० 1 व 2 के सम्मन शामिल हेतु पूर्व मे रजिस्टर्ड एडी से प्रेश किये जिसकी एडी पुनः प्राप्ती की लौट आयी जिसे शा०प० की गई। तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का भादवास पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है, वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.02.02 11:21:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा सख्या – 152/2020/पत्थ

1– श्री जयकुमार S/o श्री हीरालाल जैन निवासी- बागोर तहसील- माण्डल

प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती चंदादेवी W/o श्री रामलाल विश्नोई निवासी- दरीबा तहसील- भीलवाडा
2. श्रीमती गायत्रीदेवी W/o श्री शिवलाल विश्नोई ———— " ————
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार- माण्डल तहसील- माण्डल –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 19.01.2021

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम........ आवलास .... पटवार हल्का आवलास .... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न. 884/1, 880, 881 कुल किता 03 ....रकबा........ 03 बीघा............ 05 ...बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31.08.20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जा काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... आवलास पटवार हल्का..... आवलास .... तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न..... 884/1, ... 880, 881 .... कुल किता 03 रकबा 03 बीघा 05 ....बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीम [illegible] की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभि [illegible] बागोर को 300/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर [illegible] प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान [illegible] की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु का आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.02.02 11:21:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा